भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337406

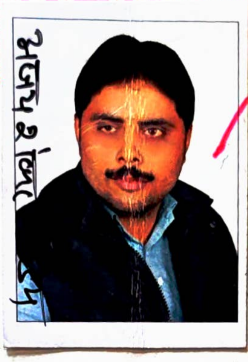

आरोही फाउण्डेशन

ग्राम व पोस्ट– रेवती, तहसील– बांसडीह, जिला–बलिया

यह न्यास विलेख आज दिनांक 16.09.2015 को बलिया में श्री अजय शंकर पाण्डेय पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय ग्राम व पोस्ट– रेवती, जिला– बलिया (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आग्र न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योकि संस्थापक पर रूपया 10000/– (दस हजार रूपया मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं, जो कि समाज एवं सामाजिक उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तन एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योकि यह **आरोही फाउण्डेशन** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा।

अजय शंकर पाण्डेय　　　　सुनीता पाण्डेय

क्रम सं० २२६६ स्टाम्प विक्रय की तिथि १६-१०-१५
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आशीर्वाद काउंडेशन रेवती व द्वबीयल बलिया
स्टाम्प का धनराशि १००/-

विनोद कुमार गुप्ता
...37/97 अवधि 2018 तक विक्रेता
उप रजिस्ट्रार बलिया

रामचन्द्र राम
मुख्य ...
28 ... 2015
... बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337407

(2)

क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक/निदेशक कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वहा विभिन्न स्रोतो से धन उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 1000/– रू0 (एक हजार रू0) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है, और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी 1000/– रूपये है इसके अलावा वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई पूंजी नही है। पंजिकृत एवं प्रशासनीय कार्यालय ग्रा0 व पो0 रेवती, जिला– बलिया (उ0प्र0) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, क्योकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा के ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बंध घोषित किया जाता है।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रम सं0 .... स्टाम्प विक्रय की तिथि ....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आरोही फाउण्डेशन रेवती तहसील बासडीह बलिया
स्टाम्प की धनराशि ....

विनोद कुमार गुप्ता
ला0नं0 337/97 अवधि 2018 तक विक्रेता
कार्या0 सब रजिस्ट्रार ....

रामचन्द्र राम
मुख्य रोकड़िया
AUG 2015
........, बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337409

(3)

आरोही फाउण्डेशन

ग्राम व पोस्ट– रेवती, तहसील– बांसडीह, जिला– बलिया
(इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

(1) ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालल, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, मेडिकल एवं इन्जिनियरिंग कालेज, वाचनालयों, प्रयोगशाला, चिकित्सालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्र, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों निराक्षितों, सर्वेक्षण केन्द्रों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों तथा ऐसे अन्य केन्द्रों जो जनहित में स्थापित, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्धक/निदेशक संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं एवं जनहित में कार्य करना आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति करा सकना है।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटान रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण बोर्ड एवं निगमों एवं अन्य बोर्डो सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रय सं0......... 8 स्टाम्प विक्रय की तिथि. १६|९|०१५
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता अजय शंकर पाण्डेय रेवती तहसील बांसडीह बलिया
स्टाम्प की धनराशि— 100/-

विनोद कुमार गुप्ता
ला0 नं0 337/97 अवधि 2018 तक वैधिक
कार्या0 सब रजिस्ट्रार प्रांगण - बलिया

रामचन्द्र राम
मुख्य कोषाधिकारी
बलिया

यास पत्र

10,000.00	200.00	20	220.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री अजय शंकर पाण्डेय
पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय
व्यवसाय
निवासी स्थायी रेवती जिला बलिया
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/9/2015 समय 2:17PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

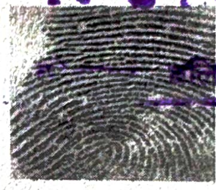

अजय शंकर पाण्डेय

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उपनिबन्धक, सदर
बलिया
16/9/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री अजय शंकर पाण्डेय
पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय
पेशा
निवासी रेवती जिला बलिया

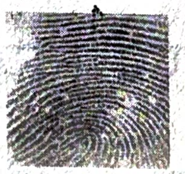

श्रीमती सुनीता पाण्डेय
पत्नी श्री अजय शंकर पाण्डेय
पेशा
निवासी रेवती जिला बलिया

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रामनाथ पाण्डेय
पुत्र श्री स्व. राम निसान पाण्डेय
पेशा
निवासी रेवती जिला बलिया

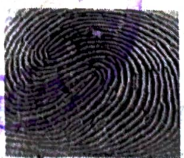

रामनाथ पाण्डेय

व श्रीमती सुनैना देवी
पत्नी श्री रामनाथ पाण्डेय
पेशा
निवासी रेवती जिला बलिया
ने की ।

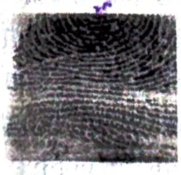

सुनैना

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय शंकर पाण्डेय सुनीता पाण्डेय

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उपनिबन्धक, सदर
बलिया
16/9/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 748652

7. प्रतियोगात्मक परीक्षओं की तैयारी हेतु संस्थाओं का स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. समाजिक विकास के लिए समाज कल्याण बोर्ड, नवार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड आदि विभागों से अनुदान लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन करना।
10. आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स–ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्निशयन, फिजियो थीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इन्जिनियरिंग कालेजों व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराने की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग आदि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन मुद्रण बिक्रि एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे व असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना। समाजिक न्याय मंत्रालय के साथ भारत सरकार के सम्बन्धित सभी मंत्रालयों से सम्बन्धित जो संस्थाओं को सौंपे जाते है व सभी कार्य का संचालन करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक, कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

न्यासी

Registration No.: 138 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 **अजय शंकर पाण्डेय**

त्रिलोकी नाथ पाण्डेय

रेवती जिला बलिया

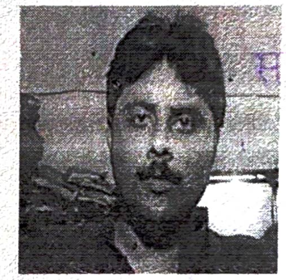

0102 **सुनीता पाण्डेय**

अजय शंकर पाण्डेय

रेवती जिला बलिया

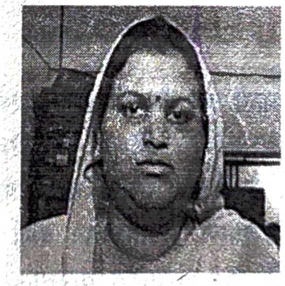

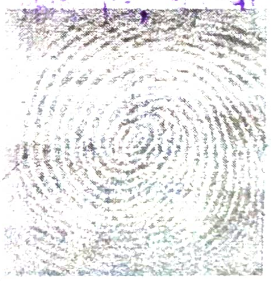

अजय शंकर पाण्डेय सुनीता पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 316372

(5)

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं में छात्र–छात्रओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिता, बैठकें विशेष कार्यक्रम, विशेष कक्षाए सत्र् प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आजोजित करना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनकों इस ट्रस्ट में समायोजित कनरा।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।
21. विविध सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उनका प्रचार–प्रसार करना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार करना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जनकल्याण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रम सं.......... स्टाम्प क्रय की तिथि...

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता—

स्टाम्प की धनराशि—..............

विनोद कुमार गुप्ता

ला० सं० 337/97 अवधि 2018 तक विधिमान्य

कार्या० सब रजिस्ट्रार आफिस – बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

28 AUG 2015

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BC 316371

26. पुस्तक, पुस्तिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्र को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, बिक्री करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना या प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संविधित आवश्यक व्यवस्थाए कर करना।
29. उपभोक्ता अधिकार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार करना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाए/वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रम सं0 ९६३ स्टाम्प विक्रय की तिथि २६।८।०१५
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आरोही फाउण्डेशन रेवती तहसील बांसडीह बलिया
स्टाम्प की धनराशि— ५००

विनोद कुमार गुप्ता
लाइ0 नं0 337/97 अवधि 2018 तक विधिमान्य
कार्या0 सब रजिस्ट्रार आफिस - बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता
28 AUG 2015
कोषागार-बलिया

कार्यालय उप निबंधक [illegible] बलिया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 316370

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कलान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉली क्लीनिक का निर्माण करेगा।

39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों, रासायनिक दवा की जानकारी देना, फल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किए गए माल का आयात एवं निर्यात करना।

40. उपरोक्त सभी कार्यो का क्रियान्वयन करने हेतु देशी विदेशी दानदाता संस्थाओं से दान लेकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहयोग से सारे कार्यो का सम्पादन करना। संस्था का मुख्य कार्य होगा।

(2) प्रारम्भिक उपबन्ध :—

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजिकृत के दिनांक से श्री अजय शंकर पाण्डेय जो की न्यासकर्ता एवं एस न्यास विलेख्य के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबन्धक/निदेशक सुनिश्चित किया जाता है तथा श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नी श्री अजय शंकर पाण्डेय ग्रा0 व पो0 रेवती, बलिया को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार ट्रस्ट में 2 सदस्य होगे।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबन्धक/निदेशक श्री अजय शंकर पाण्डेय द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की तो श्री अजय शंकर पाण्डेय की मृत्यु के पश्चात् इनके विधिक वारिस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगे। इनका कार्यकाल क्रमबद्ध तरीके से प्रति 5 वर्ष पर बदलता रहेगा।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपने जीवन काल में ही जब चाहें अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।

अजय शंकर पाण्डेय सुनीता पाण्डेय

क्रम सं0 ९८८ स्टाम्प विक्रय की तिथि... १६।-६।०१६

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ओसेहो फाउण्डेशन रेवती तहसील बांसडीह बलिया

स्टाम्प की धनराशि.......५०/-.......

विनोद कुमार गुप्ता

लाइसेंस नं0 337/97 अवधि 2018 तक विक्रेता

कार्यालय सब रजिस्ट्रार बांसडीह - बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

29 AUG 2015

कोषागार-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 316369

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

अजय शंकर पाण्डेय

सुनीता पाण्डेय

क्रम सं0 ९२९ स्टाम्प विक्रय की तिथि १६/८/०१५
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आरोही फाउण्डेशन रेवती तहसील बाँसडीह बलिया।
स्टाम्प की धनराशि— ५०२

विनोद कुमार गुप्ता
ला0नं0 837/97 अवधि 2018 तक विधिमान्य
कार्या0 सब रजिस्ट्रार आफिस – बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता
29 AUG 2015
कोषागार–बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 316368

(9)

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया, कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकारी सहित पूर्ण माना जायेगा।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक यदि उचित समझें तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम 11 (ग्याहर) सदस्य होगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनका कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक के द्वारा लिया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रम सं०......१२८० स्टाम्प विक्रय की तिथि...१६/८/०१५
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...इण्डो-ज्यूइश फाउन्डेशन रेलवे स्टेशन वार्ड बलिया
स्टाम्प की धनराशि...........१०/-

विनोद कुमार गुप्ता
ला०सं० 837/97 अवधि 2018 तक विक्रेता
स्टाम्प सब रजिस्ट्रार आफिस – बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता
29 AUG 2015
कोषागार-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रू.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 316366

(5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएं :-

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

(6) कार्य क्षेत्र :-

1. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा, सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत कर दे या संशोधन कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

स्टाम्प की धनराशि— ...

विनोद कुमार गुप्ता

ला०सं० 337/97 अवधि 2018 तक विधिमान्य

कार्या० उप रजिस्ट्रार आवास - बलिया

बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

29 AUG 2015

कोषागार-बलिया

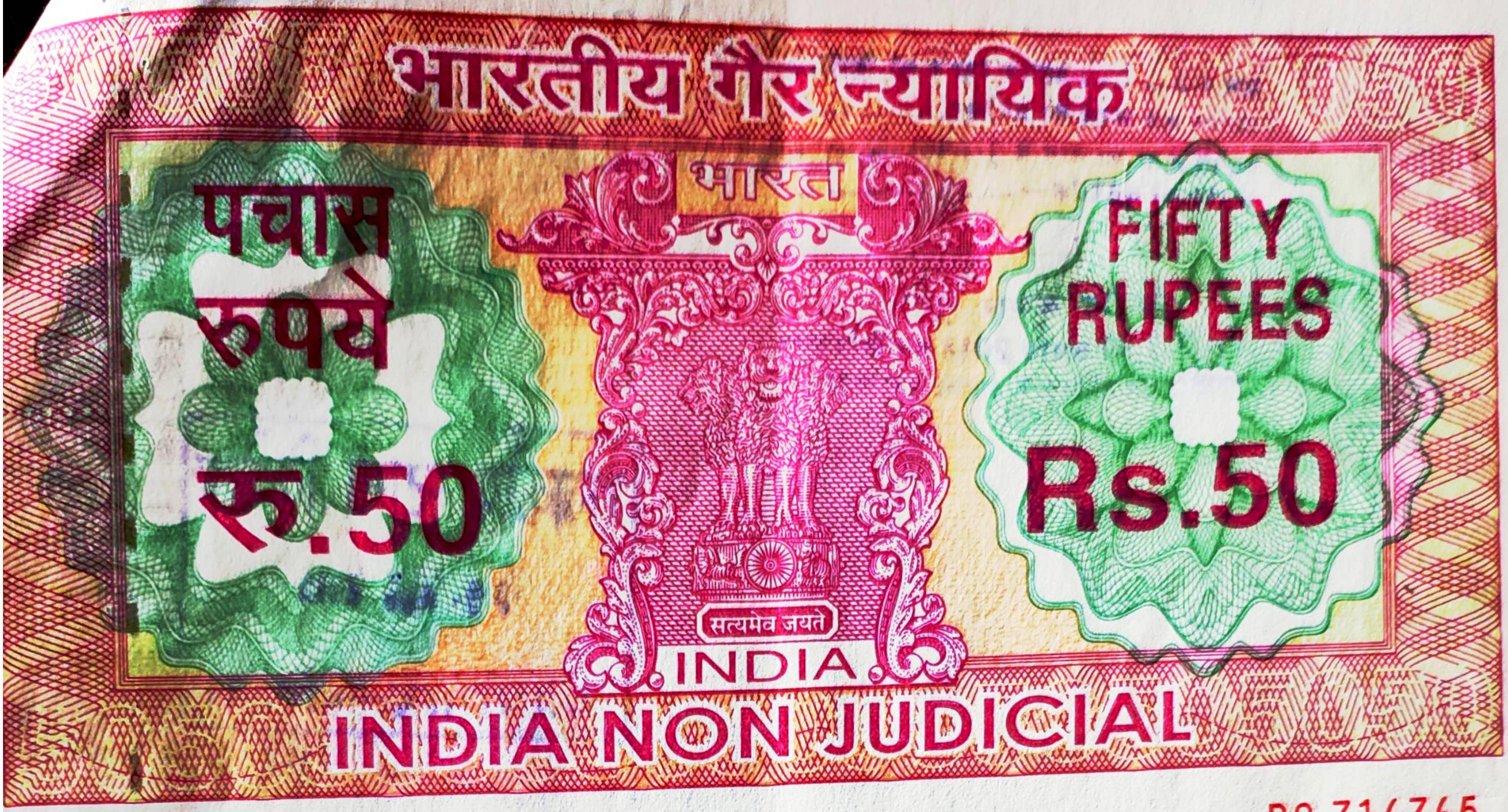

BC 316365

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

(8) प्रबन्धक/निदेशक की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक प्रबन्धक/निदेशक एवं आवश्यकता पड़ने पर एक या अधिक उपसचिवों को नियुक्त कर सकेगा।
2. यह कि प्रबन्धक/निदेशक के वेतन भत्ते, सुविधाए, कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जायेगे।
3. यह कि उक्त प्रबन्धक/निदेशक मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधि/अनुंशासनात्मक/प्रशंसात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

अजय शंकर पाण्डेय सुनीता पाण्डेय

क्र० सं०......१२८८ स्टाम्प विक्रय की तिथि... २९/८/०१५

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ..आरोही फाउन्डेशन रेवती बाँसडीह बलिया

स्टाम्प की धनराशि— ...२०१२.........

विनोद कुमार गुप्ता

लाइसेंस 337/97 अवधि 2018 तक विधिमान्य

कार्या० उप रजिस्ट्रार प्रांगण - बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

29 AUG 2015

कचहरी परिसर—बलिया

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 316364

(9) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि यह ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकारी एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगे –

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढ़ंग से देख–रेख करने के लिए उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/निदेशक की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(10) प्रबन्धक/निदेशक के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का प्रबन्धक अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के प्रबन्धक/निदेशक के निम्न कर्तव्य व अधिकार है –

1. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत हेने वाली सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

अभय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रम सं0 ...९–२६... स्टाम्प विक्रय की तिथि... १६।८।०१५

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आरोही फाउण्डेशन रेवती वासडीह बलिया

स्टाम्प का धनराशि..........5012

विनोद कुमार गुप्ता

ला० नं० 337/97 अवधि 2018 तक विधिवाध

कार्या० सब रजिस्ट्रार आफिस – बलिया

राजकीय स्टाम्प विक्रेता

28 AUG 2015

कोषागार–बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337415

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं, निगमों बोर्डो का गठन ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि को संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्ति करना।
6. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।

(11) बैंक एकाउन्ट :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में खोला जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित इकाई कार्यरत किसी भी पाठशाला/ विद्यालय/ कालेज/ महाविद्यालय/ संस्थान/ अन्य संस्था/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोलना एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के प्रबन्धक/निदेशक या उसके द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है और सारा आय--व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण से कराया जायेगा।

अजय शंकर पाण्डेय

सुनीता पाण्डेय

क्रम सं० 202 स्टाम्प बिक्री की तिथि— १६/८/०१५

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन—

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता— [illegible] तहसील [illegible] बलिया

स्टाम्प का अंकित मूल्य— 1500/-

विनोद कुमार गुप्ता

ला० नं० 337/97 अवधि 2018 तक विधिमान्य

कार्या० सब रजिस्ट्रार आफिस – बलिया

रामचन्द्र राम

[illegible]

28 AUG 2015

[illegible] बलिया

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337405

(12) विधिक कार्यवाही :–

1. यदि संस्थान/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो प्रबन्धक, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या स्वयं अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(13) सम्पति :–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में कोई लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति क्रय–विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है और ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञपि, बन्धक, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है।

अजय शंकर पाण्डेय   सुनीता पाण्डेय

क्रम सं0 209 स्टाम्प विक्रय की तिथि 9६/८/२०१५

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आरेन्द्री फाउण्डेशन टेक्नोलॉजी तहसील

स्टाम्प की धनराशि 10₹

विनोद कुमार गुप्ता

ला0सं0 337/97 अवधि 2018 तक लिखित

कार्या0 सब रजिस्ट्रार प्रांगण - बलिया

रामचन्द्र राम

मुख्य रोकड़िया

28 AUG 2015

कोषागार, बलिया

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

सदर - बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337411

(14) विशेष :-

यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन प्रसस्ति होगी।

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/ इकाई/ कार्यालय/ संस्था/ संस्थान उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक सें नियम/उपनियम बनाने जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ **आरोही फाउण्डेशन** के उद्‌देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण करते है तो यह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगे।

(ख) प्रबन्धक/ट्रस्ट यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। **आरोही फाउण्डेशन** न्यास विलेख एवं उनमें सन्नहित समावेश **आरोही फाउण्डेशन** के उद्‌देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियम, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

अजय शंकर पाण्डेय

सुनीता पाण्डेय

९३/८/०९१२

क्रम सं० 208 स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

स्टाम्प की धनराशि—...100

विनोद कुमार गुप्ता

ला०नं० 337/97 अवधि 2018 तक

कार्या० सब रजिस्ट्रार ... – बलिया

रामचन्द्र राम
मुख्य रोकड़िया
20 AUG 2015
... बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 337410

अजय शंकर पाण्डेय (16) सुनीता पाण्डेय

साक्षीगण :—

1. श्री राम नाथ पाण्डेय
पुत्र स्व0 राम निसान पाण्डेय — राम नाथ पाण्डेय
ग्राम व पोस्ट— रेवती, बलिया

2. श्रीमती सुनैना देवी — सुनैना
पत्नी श्री राम नाथ पाण्डेय
ग्राम व पोस्ट— रेवती, बलिया।

लिखित- अशोक कुमार गुप्ता दस्तावेज लेखक बलिया
16/9/2015

अनुज्ञापित सं० ५५ दि० ३-३-९२ तक विधिमान्य
कार्या० सब रजिस्ट्रार बलिया जिला बलिया
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर
16/9/2015

क्रम सं0......... स्टाम्प विक्रय की तिथि. १६/९/०१५
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता। ओरेन्डी फाउण्डेशन रसड़ा तहसील बांसडीह व बलिया
स्टाम्प की धनराशि— १००/-

विनोद कुमार गुप्ता
ला0नं0 337/97 अवधि 2018 तक विक्रेता
कार्या0 सब रजिस्ट्रार सदर - बलिया

रामचन्द्र ...
मुख्य कोषाधिकारी
28 AUG 2015
कोषागार, बलिया

आज दिनांक **16/09/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **105**

पृष्ठ सं. **289** से **320** पर कमांक **138**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उपनिबन्धक, सदर
बलिया
16/9/2015